पत्र संख्या : 7ब/2701–स्थापना व्यय–01–01/2019 ज०सं०..........101

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ,जल संसाधन विभाग , राँची ।

राँची, दिनांक 28/8/19

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 49S27018000101 अन्तर्गत वेतन मद् एवं कार्यालय व्यय मद् में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त कुल रु 53.00 लाख (तीरेपन लाख रूपये मात्र) अतिरिक्त राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट मुख्य शीर्ष **2701– मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या /मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष	उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रूपये में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2701–मध्यम सिंचाई	80 सामान्य /001–निदेशन तथा प्रशासन	01–मुख्यालय सचिवालय स्थापना	**53.000**

आवंटित राशि – **रुपये तीरेपन लाख मात्र**

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 के संशोधित बजट उपबंध रूपये 247.53 (दो करोड़ सैंतालीस लाख तीरेपन हजार मात्र) के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 ,1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1363 दि० 09.05.16 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

8. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।

9. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित विभाग का पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।

10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

12. वित्त विभाग के पत्रांक –29/ बी०टी०ई० –18/2014.–15/300 दिनांक – 30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

13. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यार्पण कर दिया जाय।राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रुप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।

15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

अनु० :– यथोक्त

(अरूण कुमार सिंह) 27.8.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 101 रॉची, दिनांक :– 28/8/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो० – हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

(अरूण कुमार सिंह) 27.8.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 101 रॉची, दिनांक :– 28/8/19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियंता (मो०), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल–3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि०/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– **यथोक्त**

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

27.8.19
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट I

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–01–मुख्यालय सचिवालय स्थापना

पत्रांक 101 दिनांक 28/8/19 का अनुलग्नक

(आवंटित राशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2019–2020		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते		विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	(आवंटित राशि लाख रूपये में)	
	कार्यालय का नाम		वेतन	एल० टी० सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	मशीनरी एवं उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड →	49S270180 001010101	49S270180 001010112	49S270180 001010213	49S270180 001010315	49S270180 001010317	49S2701800 01010323	49S270180 001010333	49S2701800 01010442	49S2701800 01010760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अवर सचिव – सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, रॉंची ।	पूर्व का आवंटन	166.680	1.000	6.000	6.000	2.000	2.500	1.850	6.500	2.000	194.530	
		अतिरिक्त आवंटन	50.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	53.000	
		कुल आवंटन	216.680	1.000	6.000	9.000	2.000	2.500	1.850	6.500	2.000	247.530	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		50.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	53.000	

अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये तीरेपन लाख मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 27.8.19
अपर मुख्य सचिव